भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
आर. टी. आई. अनुभाग/RTI Section
निदेशालय, नई दिल्ली-12/Directorate, New Delhi-12
Email-imc@iari.res.in, Extn-4206

Date 14-01-2026 685

संख्या. 8-198/2026-आर.टी.आई./ 295 | दिनांक: 14 /01/2026

सेवा में,
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एंव अध्यक्ष
बीज विज्ञान एवम प्रौद्योगिकी संभाग,
भा.कृ.अनु.प.- भा.कृ.अनु.सं. नई दिल्ली-110012

विषयः- श्री हरेन्द्र सिंह का आर.टी.आई आवेदन।

महोदय,

इस कार्यालय को दिनांक 12-01-2026 आर.टी.आई अनुभाग में श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह निवासी-खेड़ा किशन पोस्ट बाजौता तहसील-खैर थाना-टप्पल जिला-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-202137 से एक आर.टी.आई ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन का विषय-वस्तु आपके संभाग/इकाई/अनुभाग से निकटता से संबंधित है। अतः यह आर.टी.आई अनुरोध इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है तथा आर.टी.आई अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत आपको स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को वांछित जानकारी सीधे प्रदान की जा सके और इसकी सूचना आर.टी.आई अनुभाग को भी दी जाए।

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि यह मामला आपके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, तो कृपया इसे उस लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे विषयवस्तु अधिक निकटता से संबंधित हो तथा इसकी सूचना आवेदक को सीधे दी जाए।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-1/2013-आईआर, दिनांक 21-10-2014 के अनुसार, सभी आर.टी.आई आवेदनों एवं अपीलों के उत्तरों को भा.कृ.अनु.सं. की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है (इसका प्रतिलिपि पहले से ही भा.कृ.अनु.सं. की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। तदनुसार, अनुरोध है कि ऐसे सभी उत्तरों की प्रतिलिपियाँ पीडीएफ (PDF) प्रारूप में "webmaster@iari.res.in" पर प्रेषित करें, ताकि उन्हें उपयुक्त स्थान पर वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की प्रति संलग्न है (पी.ओ.नं. 72एफ 878760)।

सधन्यवाद ,

भवदीया

विनीता
14/01/2026
नोडल अधिकारी
(सूचना का अधिकार)

संलग्नकः यथोपरि।

प्रेषणः

1. श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह निवासी-खेड़ा किशन पोस्ट बाजौता तहसील-खैर थाना-टप्पल जिला-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-202137
2. प्रभारी, ए.के.एम.यू.आई.ए.आर.आई. वेबसाइट पर "RTI Application" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।

डॉ संदीप
लाल मिश्रा
14/1/26

सेवामें

श्रीमान जनसूचना अधिकारी महोदय/सी०पी०आई०ओ०

भारतीय अनुसन्धान संस्थान पूसा नई दिल्ली

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन प्रार्थना पत्र के तहत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में |

श्रीमान जी,

कृपया एस०सी०एस०पी० परियोजाना से सम्बंधित निम्नलिखित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें |

1- ग्राम पंचायत नगलिया बिजना , कृपालगढ़ी तहसील-खैर जिला-अलीगढ में परियोजना की मीटिंग हुयी जहाँ गेंहू बीज वितरण व स्प्रे मशीन वितरण की दिनांक-11/10/2025 की सूची आधार कार्ड सहित एवं पांडाल में बैठे किसानों के फोटो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं |

2- ग्राम-लमतौली, तेहरा, हसनपुर, जरारा, रामनगला, सिकंदरपुर , बेरा, ईखू, पालखेडा, भदनवारा जनपद मथुरा की धान के बीज वितरण वर्ष-2024 की सूची आधार कार्ड सहित प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें |

3- सूचना प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क 10/- रूपये का पोस्टल आर्डर संख्या-- 72 F 878760---जारी दिनांक--05/01/26----व जारी कार्यालय----जेवर----- साथ संलग्न है |

4- यह कि माँगी गयी जनसूचना की प्रति निर्धारित समय सीमा 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराये आधी अधूरी सूचना मान्य नहीं की जायेगी |

अतः आपसे निवेदन है कि मांगी गयी सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध कराने की कृपा करें | श्रीमान जी की अति कृपा होगी |

दिनांक- 7/01/26

आवेदक

हरेन्द्र सिंह

हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह
निवासी-खेडा किशन पोस्ट-बाजौता
थाना-टप्पल तहसील-खैर
जिला-अलीगढ-202137
मो०न०-9759345820

Diary No. 510
13/01/2026

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल ऑर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO Director, IARI

को

इस आदेश की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह
नि० ग्राम- खेड़ाकिशन पो०- बाजौता
तह० खैर थाना टप्पल जिला- अलीगढ़
पिन कोड- 202137

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

72F 878760

बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संभाग
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 110012
Division of Seed Science and Technology
ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi – 110 012,
Email: head_sst@iari.res.in; Phone:011-25841428(O), Mob–8140128622

Gyan P. Mishra
Head

PS/DSST/2025-26/517
13.02.2026

सेवा में

श्री हरेंदर सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिह
निवासी ग्राम खेडा किशन
पोस्ट बाजौता, तहसील खैर
थाना टप्पल
जनपद अलीगढ - 202137

प्रिय श्री हरेंदर

दिनांक 14.01.2026 को आपके द्वारा मांगे गये आर. टी. आई. के संदर्भ में, कृपया इस कार्यालय के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर सलग्न देखें।

ज्ञान मिश्रा

(ज्ञान पी. मिश्रा)

16/02/2026

सुचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) तहत आवेदन प्रार्थना भाग के तहत सुचना माँगने के संबंध में

1. **ग्राम पंचायत नगलिया बिजना, कृपालगढ़ी, तहसील-खैर जिला-अलीगढ मे परियोजना की मीटिंग हुयी जहाँ गेंहू बीज वितरण व स्प्रे मशीन वितरण की दिनांक-11/10/2025 की सूची आधार कार्ड सहित एवं पांडाल में बैठे किसानों के फोटो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।**

   अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन से संबंधित सामान्य जानकारी सार्वजनिक अभिलेखों में उपलब्ध है। इस कार्यक्रम का आयोजन उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के किसानों को एस. सी. एस. पी. कमेटी की देख- रेख में बीज एवं इनपुट का वितरण किया गया था। लाभार्थियों की सूची में व्यक्तिगत विवरण सम्मिलित होने के कारण यह सूचना धारा 8(1)(j) के अंतर्गत आती है, अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। फिर भी, यदि आवेदक उपरोक्त संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहते हैं, तो नियमानुसार कार्यालय समय में पूर्व सूचना देकर अपने खर्चे पर आकर संबंधित अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।

2. **ग्राम-लमतौली, तेहरा, हसनपुर, जरारा, रामनगला, सिकंदरपुर, बेरा, ईखू, पालखेडा, भदनवारा जनपद मथुरा की धान के बीज वितरण वर्ष-2024 की सूची आधार कार्ड सहित प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।**

   अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन से संबंधित सामान्य जानकारी सार्वजनिक अभिलेखों में उपलब्ध है। बीज वितरण उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा एस. सी. एस. पी. कमेटी द्वारा अनुमोदन के आधार पर सम्बंधित कार्यालय सहायक/ ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है जिसका वितरण। लाभार्थियों की सूची में व्यक्तिगत विवरण सम्मिलित होने के कारण यह सूचना धारा 8(1)(j) के अंतर्गत आती है, अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। फिर भी, यदि आवेदक उपरोक्त संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहते हैं, तो नियमानुसार कार्यालय समय में पूर्व सूचना देकर अपने खर्चे पर आकर संबंधित अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।

संदीप कुमार लाल

(संदीप कुमार लाल)

नोडल अधिकारी, एस. सी. एस. पी.